रजिस्ट्री सं० डी--(डीएन)--128/89

REGISTERED No. D--(DN)--128/89

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 39 नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 30, 1989 (आश्विन 8, 1911)

No. 39] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 30, 1989 (ASVINA 8, 1911)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

पृष्ठ

भाग I—खण्ड 1—रक्षा मंत्रालय को छोड़कर भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों, संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं . 687

भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . . 1003

भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं .

भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . . 1439

भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम *

भाग II—खण्ड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ *

भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट . *

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं) . . . *

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं . . *

पृष्ठ

भाग II—खण्ड—3—उप-खण्ड (iii) भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल हैं) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी अधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं) *

भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश *

भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 855

भाग III—खण्ड 2—पेटेन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस . . 951

भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं *

भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं 983

भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी, निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस . . . 129

भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी क्षेत्रों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को निकालने वाला अनुपूरक

*आंकड़े प्राप्त नहीं।

CONTENTS

PAGE

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court. 687

PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 1003

PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence . . . —

PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence 1439

PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations . . . . . *

PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations . . . . . *

PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills . . . *

PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) . *

PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) . *

PAGE

PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administration of Union Territories) . . . *

PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence . . *

PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India 855

PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs 951

PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners . . . . . *

PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies 983

PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies . 129

PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi *

*Page Nos. not reserved

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

लोक सभा सचिवालय

(पी० यू० शाखा)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 18 अगस्त 1989

सं० 4/1-पी० यू०/89—राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों को सर्वश्री टी० आर० बालू, दीपेन घोष, और कमल मोरारका के समिति से त्यागपत्र देने के कारण रिक्त हुए स्थानों पर 16 अगस्त, 1989 से सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए समिति की शेष अवधि के लिए चुना गया है ।

1. श्री भीम राज
2. प्रो० (श्रीमती) असीमा चटर्जी
3. श्री बी० वी० अब्दुल्ला कोया

आर० डी० शर्मा, संयुक्त सचिव

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 अगस्त 1989

आदेश

विषय :—तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को बम्बई अपतट के विस्तार-II क्षेत्र के 246 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए पैट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस की स्वीकृति ।

सं० ओ-12012/49/88-ओ० एन० जी० डी०-4—पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 5 के उप नियम (1) की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, तेल भवन, देहरादून को (जिसे इसमें इसके पश्चात आयोग कहा गया है) बम्बई अपतट के विस्तार-II क्षेत्र के लिए 246 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पैट्रोलियम मिलने की संभावना हेतु एक पैट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस की 1-1-1989 से चार वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृति देती है । इसके विवरण इसके साथ संलग्न अनुसूची "क" में दिए गए हैं :—

2. लाइसेंस की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर है :—

(क) अन्वेषण लाइसेंस पैट्रोलियम के संबंध में होगा ।

(ख) यदि अन्वेषण कार्य के दौरान कोई खनिज पदार्थ पाये गये तो आयोग पूर्ण ब्यौरे के साथ उसकी सूचना केन्द्रीय सरकार को देगा ।

(ग) स्वत्व शुल्क (रायल्टी) निम्नलिखित दरों पर ली जायेगी :—

(1) समस्त अशोधित तेल तथा कैसिंग हैड कन्डेन्सेट पर 192 रुपये प्रति मिट्रिक टन या ऐसी दर जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी ।

(2) प्राकृतिक गैस के संबंध में ये दरें केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर के अनुसार होंगी ।

स्वत्व शुल्क (रायल्टी) की अदायगी, पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली के सेक्शन तथा लेखा अधिकारी को की जायेगी ।

(घ) आयोग लाइसेंस के अनुसरण में प्रत्येक माह के प्रथम 30 दिनों में गत माह से प्राप्त समस्त अशोधित तेल की मात्रा, कैसिंग हैड कन्डेन्सेट और प्राकृतिक गैस की मात्रा तथा उसका कुल उचित मूल्य दर्शाने वाला एक पूर्ण तथा उचित विवरण केन्द्रीय सरकार को भेजेगा । यह विवरण संलग्न अनुसूची "ख" में दिए गए प्रपत्र में भरकर देना होगा ।

(ङ) पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 11 की अपेक्षाओं के अनुसार आयोग 6,000 रुपये की धनराशि प्रतिभूति के रूप में जमा करेगा ।

(च) आयोग प्रतिवर्ष लाइसेंस के संबंध में एक शुल्क का भुगतान करेगा जिसकी संगणना प्रत्येक वर्ग किलोमीटर या उसके किसी अंश के लिए जिसका लाइसेंस में उल्लेख किया गया होगा, निम्नलिखित दरों पर की जायेगी :—

(1) लाइसेंस के प्रथम वर्ष के लिए	4/ रुपये
(2) लाइसेंस के द्वितीय वर्ष के लिए	40/- रुपये
(3) लाइसेंस के तृतीय वर्ष के लिए	200/- रुपये
(4) लाइसेंस के चतुर्थ वर्ष के लिए	400/- रुपये
(5) लाइसेंस के नवीकरण के प्रथम और द्वितीय वर्ष के लिए	500/- रुपये

(छ) आयोग को पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 11 के उप नियम (3) की अपेक्षाओं के अनुसार अन्वेषण लाइसेंस में उल्लिखित किसी क्षेत्र के किसी भाग को छोड़ देने की स्वतंत्रता, सरकार को दो माह की लिखित नोटिस देने के बाद होगी ।

(ज) आयोग केन्द्रीय सरकार को मांग किये जाने पर तत्काल तेल तथा प्राकृतिक गैस अन्वेषण के दौरान पाये गये समस्त खनिज पदार्थों के संबंध में भूवैज्ञानिक आंकड़ों के बारे में एक पूर्ण रिपोर्ट गुप्त रूप से देगा तथा हर 6 महीने में निश्चित रूप से केन्द्रीय सरकार को समस्त परिचालनों, व्यधन तथा अन्वेषण कार्यों के परिणामों के बारे में सूचना देगा ।

(झ) आयोग समुद्र की तलहटी और या उसकी सतह पर आग बुझाने संबंधी निवारक उपायों की व्यवस्था करेगा तथा आग बुझाने हेतु हर समय के लिए उपकरण, सामान तथा साधन बनाये रखेगा और तीसरी पार्टी और या सरकार को उतना मुआवजा देगा जितना कि आग लगने से हुई हानि के बारे में निर्धारित किया जायेगा ।

(ञ) इस अन्वेषण लाइसेंस पर तेल क्षेत्र (विनियम और विकास) अधिनियम, 1948 (1948 का 53) और पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के उपबंध लागू होंगे ।

(ट) पैट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस के बारे में आयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित एक ऐसे फार्म पर दस्तावेज भरकर देगा जो अपतटीय क्षेत्रों के लिए व्यवहार्य होगा ।

(ठ) आयोग खुदाई/अन्वेषी आपरेषणों/सर्वेक्षणों के दौरान एकत्र किये गये बाथीमीट्रिक, सतही नमूने, धारा और चुम्बकीय आंकड़े यथा सामान्य रूप से रक्षा मंत्रालय, नौसेना मुख्यालय को प्रस्तुत करेगा ।

(ड) आयोग समुद्री विज्ञान आंकड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है ।

(ढ) संपूर्ण आंकड़े भारत में संकलित किये जाते हैं ।

(ण) इस संबंध में आयोग द्वारा समुद्र विज्ञान संबंधी आकड़ों की तैयार की गई संपूर्ण प्रति नौसेना मुख्यालय तथा मुख्य हाइड्रोग्राफर को निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती है ।

(त) यदि विदेशी जलपोत को सर्वेक्षण पर लगाया जाता है तो सर्वेक्षण शुरू करने से पूर्व उनका भारतीय नौसेना विशेषज्ञ अधिकारी दल द्वारा नौसेना सुरक्षा निरीक्षण किया जायेगा । भारत में ऐसे जलपोतों के आने के बारे में कम से कम एक माह पूर्व नोटिस दिया जाना चाहिए ताकि निरीक्षण दल की प्रतिनियुक्ति में सुविधा हो ।

अनुसूची "क"

बम्बई अपतट विस्तार–II क्षेत्र के 246 वर्ग कि० मी० के लिए भौगोलिक निर्देशांक

पाइंट	अक्षांतर	देशान्तर
जी$_3$	17° 50′00″	72° 26′00″
जी$_4$	17° 46′00″	72° 45′00″
जी$_7$	17° 46′00″	72° 26′ 24. 6″
जी$_8$	17° 46′00″	72° 44′50″

अनुसूची ख

अशोधित तेल, केसिंग कन्डेन्सेट तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन तथा उसके मूल्य सहित मासिक विवरण के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस

क्षेत्रफल :

माह तथा वर्ष :

क. अशोधित तेल

कुल प्राप्त मी० टन की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये मी० टन की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये मी० टनों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त मी० टन की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

ख. केसिंग हैड कन्डेन्सेट

प्राप्त किये गये कुल मी० टन की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये मी० टन की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये मी० टनों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त मी० टन की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

ग. प्राकृतिक गैस

कुल प्राप्त घन मीटरों की सं०	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये गये घन मीटरों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये घन मीटरों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त घन मीटरों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

एतद्द्वारा मैं श्री ..... सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा एवं पुष्टि करता हूं कि इस विवरण में दी गई सूचना पूर्ण रूपेण सत्य और सही है, उसे सही समझते हुए मैं शुद्ध अन्तःकरण से सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूं ।

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से तथा उनके नाम पर। हस्ताक्षर .....

गुरदयाल सिंह, डैस्क अधिकारी

उद्योग मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली-1, दिनांक 30 अगस्त 1989

सं० 27/5/89-सी० एल०-2—कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 क की उपधारा (1) के खण्ड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा कम्पनी कार्य विभाग के श्री डी० के० बिसवास संयुक्त निदेशक निरीक्षण को उक्त धारा 209क के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत करती है ।

एम० एल० शर्मा, अवर सचिव

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार आयोग)

नई दिल्ली-1, दिनांक 23 अगस्त 1989

विषय :—पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्रों में दूरसंचार विकास के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन ।

सं० 3-8/89-टी० सी०—पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्रों में अभियन्ता, विश्वसनीयता, स्तर, स्वदेशी उत्पादों और तीव्र विकास को ध्यान में रखते हुए दूरसंचार विकास क्षेत्र में नेटवर्क, उत्पाद, सेवा, संगठन, नियोजन, कार्यान्वयन आदि विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है ।

2. इस समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे —

1. श्री जे० ए० कल्याण कृष्णन — अध्यक्ष
सचिव
गृह मंत्रालय, नई दिल्ली ।

2. श्री एम० के० पाण्डेय, — सदस्य (सचिव)
महाप्रबन्धक (नेटवर्क)
दूरसंचार विभाग,
नई दिल्ली ।

3. श्री आर० पी० ओझा, — सदस्य
मुख्य सचिव,
पंजाब सरकार,
चंडीगढ़ ।

4. श्री एच० आर० पाटंकर, — सदस्य
मुख्य सचिव,
गुजरात सरकार,
गांधी नगर ।

5. श्री मृभा रजा, — सदस्य
मुख्य सचिव
जम्मू और कश्मीर सरकार,
श्रीनगर ।

6. श्री बी० बी० एल० माथुर, — सदस्य
मुख्य सचिव,
राजस्थान सरकार,
जयपुर ।

7. श्री एस० पी० भटनागर, — सदस्य
महानिदेशक,
सीमा सुरक्षा बल,
ब्लाक नं० 10, सी० जी० ओ० काम्पलैक्स,
लोदी रोड़, नई दिल्ली ।

8. ए० के० चौधरी, — सदस्य
मुख्य महाप्रबन्धक, दूरसंचार,
चंडीगढ़, पंजाब ।

9. श्री एम० सी० लेहुन, — सदस्य
मुख्य महा प्रबन्धक,
जम्मू और कश्मीर दूरसंचार सर्किल,
श्रीनगर ।

10. श्री जे० पी० गर्ग, — सदस्य
मुख्य महाप्रबन्धक, दूरसंचार
जयपुर, राजस्थान ।

11. श्री एच० पी० वागले, — सदस्य
मुख्य महाप्रबन्धक, दूरसंचार,
गुजरात, गांधीनगर ।

12. मेजर जनरल जी० एम० बेस, — सदस्य
सहायक महानिदेशक, दूरसंचार,
सिगनल निदेशालय,
सेना मुख्यालय, नई दिल्ली ।

13. श्री एस० सी० कक्कड़, — सदस्य
महाप्रबन्धक (रक्षा संचार)
पश्चिमी कमान, चंडीगढ़ ।

14. डा डी० पी० एस० सेठ, — सदस्य
महाप्रबन्धक (एल० टी० पी०),
दूरसंचार विभाग, नई दिल्ली ।

3. इस समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार होंगे :—

(1) दीर्घ कालिक तकनीकी और सेवा समाकलन परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के साथ, सीमा क्षेत्र दूरसंचार नेटवर्क के लिए एक महत्वपूर्ण योजना का पता लगाना,

(2) पश्चिमी सीमावर्ती जिलों में नागरिक और बी० एस० एफ० नेटवर्क को पुनः प्रवृत्त करना और इसका आधुनिकीकरण करना,

(3) एक्सचेंजों, पारेषण और सार्वजनिक टेलीफोन घरों के लिए उत्पादों, सेवाओं, रखरखाव आदि की पहचान करना, और

(4) 8वीं योजना अवधि के लिए कार्यान्वयन योजना ।

4. समिति अपनी सिफारिशें 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर देगी ।

बी० के० डे, संयुक्त सचिव

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली–110003, दिनांक 12 सितम्बर 1989

संकल्प

सं० 19/4/81–आई० टी०—इस मंत्रालय के संकल्प सं० डी० डब्ल्यू०-III—26(4)/58/दिनांक 19 दिसम्बर, 1958 जो संकल्प सं० 22/7/66–डी० डब्ल्यू० आई०, दिनांक 10 दिसम्बर 1968, संकल्प सं० 21/9/71—डी० डब्ल्यू० (एन) दिनांक 12 जनवरी, 1972, संकल्प सं० 21/9/71–डी० डब्ल्यू० (एन०) दिनांक 30 अप्रैल, 1973, संकल्प सं० 21/9/71–डी० डब्ल्यू० (एन) दिनांक 2 जनवरी, 1974 और संकल्प सं० 21/9/71–डी० डब्ल्यू० (एम०) आई० टी० खण्ड–II दिनांक 19 जनवरी 1978 और शुद्धि पत्र सं० 21/9/71–डी० डब्ल्यू० (एन०)/आई० टी० दिनांक 27 मार्च, 1978 और संकल्प सं० 19/4/81–आई० टी० दिनांक 17–6–87 द्वारा समय समय पर संशोधित किया गया था, के आंशिक संशोधन करते हुए 'राजस्थान नहर बोर्ड' जिसे अब दिनांक 7–1–85 के संकल्प सं० 19/4/81–आई० टी० के जरिये "इन्दिरा गांधी नहर बोर्ड" का नाम दिया गया है, को पुनर्गठित करने का निर्णय किया गया है। इसमें अब से निम्नलिखित शामिल होंगे :—

इन्दिरा गांधी नहर बोर्ड

1. अध्यक्ष, इन्दिरा गांधी नहर बोर्ड।

2. वित्त सलाहकार, केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय (अथवा किसी विशेष बैठक में भाग लेने के लिये उनके द्वारा तैनात किया गया कोई अधिकारी)।

3. संयुक्त सचिव, कृषि विभाग, केन्द्रीय कृषि और सहकारिता मंत्रालय (अथवा किसी विशेष बैठक में भाग लेने के लिये उनके द्वारा तैनात किया गया कोई अधिकारी)।

4. आयुक्त (सिंधु) केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय (अथवा किसी विशेष बैठक में भाग लेने के लिये उनके द्वारा तैनात किया गया कोई अधिकारी)।

5. मुख्य अभियन्ता (मौनिटरिंग-एन०) केन्द्रीय जल आयोग, (अथवा किसी विशेष बैठक में भाग लेने के लिये उनके द्वारा तैनात किया गया कोई अधिकारी)।

6. मुख्य अभियन्ता, कमान क्षेत्र विकास, केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय, (अथवा किसी विशेष बैठक में भाग लेने के लिये उनके द्वारा तैनात किया गया कोई अधिकारी)।

7. सचिव, राजस्थान सरकार, वित्त विभाग, (अथवा किसी विशेष बैठक में भाग लेने के लिये उनके द्वारा तैनात किया गया कोई अधिकारी)।

8. सचिव, राजस्थान सरकार, कमान क्षेत्र विकास विभाग, (अथवा किसी विशेष बैठक में भाग लेने के लिये उनके द्वारा तैनात किया गया कोई अधिकारी)

9. क्षेत्र विकास आयुक्त, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना।

10. मुख्य अभियन्ता, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना।

11. मुख्य अभियन्ता, कमान क्षेत्र विकास, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना।

12. मुख्य अभियन्ता (II) /अपर मुख्य अभियन्ता, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना।

13. शहरीकरण आयुक्त, राजस्थान सरकार।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प संबंधित राज्य सरकारों और वित्त, गृह तथा कृषि मंत्रालयों और योजना आयोग को सूचनार्थ भेज दिया जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये और आम जनता की सूचना के लिये संबंधित राज्य सरकार को राज्य के राजपत्र में इसे प्रकाशित करने का अनुरोध किया जाये।

ए० शेखर, उप सचिव

LOK SABHA SECRETARIAT

(P. U. BRANCH)

New Delhi-110001, the 18th August, 1989

No. 4/1-PU/89.—The following members of Rajya Sabha have been elected to serve as members of the Committee on Public Undertakings with effect from 16 August, 1989 for the unexpired portion of the term of the Committee vice Sarvashri T R. Balu, Dipen Ghosh and Kamal Morarka resigned from the Committee :

1. Shri Bhim Raj
2. Prof. (Mrs.) Asima Chatterjee
3. Shri B. V. Abdulla Koya.

R. D. SHARMA, Jt. Secy.

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

New Delhi, the 22nd August 1989

ORDER

Subject :—Grant of Petroleum Exploration Licence to Oil & Natural Gas Commission for Bombay Offshore Extention II area measuring 246 sp. kms.

No. O-12012/49/88-ONG D 4.—In exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-rule (1) of Rule 5 of Petroleum and Natural Gas Rules, 1959, the Central Government hereby grants to the Oil & Natural Gas Commission, Tel Bhavan, Dehradun (herein after referred to as Commission) a petroleum Exploration Licence to prospect for Petroleum for four years from 1-1-1989 for Bombay Offshore Extension II area measuring 246 sq. kms., the particulars of which are given in Schedule 'A' annexed hereto.

The grant of licence is subject to the terms and conditions mentioned below :

(a) The Exploration Licence should be in respect of Petroleum.

(b) If any minerals are found during the exploration work, the Commission should bring that to the notice of the Central Government with full particulars thereof.

(c) Royalty at the rate mentioned below shall be charged :

(i) Rs. 192/- per metric tonne or such rates as may be fixed by the Central Government from time to time on all crude oil and casing head condensate.

(ii) In case of natural gas, at such rates as may be fixed by the Central Government from time to time.

The royalty shall be paid to the Pay and Accounts Officer, Ministry of Petroleum and Natural Gas, New Delhi.

(d) The Commission shall within the first 30 days of every month, furnish to the Central Government, a full proper return showing the quantity and gross value of all crude oil, casing-head condensate and natural gas obtained during the preceding month in pursuance of the licence. The return shall be in the form given in Schedule 'B' annexed hereto.

(e) The Commission shall deposit a sum of Rs. 6,000/- as security as required by Rule 11 of the PNG Rules, 1959.

(f) The Commission shall pay every year in advance a fee in respect of the licence calculated at the following rates for each square kilometers or part thereof covered by the licence.

(i) Rs. 4/- for the first year of the licence;

(ii) Rs. 40/- for the second year of the licence;

(iii) Rs. 200/- for the third year of the licence;

(iv) Rs. 400/- for the fourth year of the licence;

(v) Rs. 600/- for the first and second years of renewal.

(g) The Commission shall be at liberty to determine the reliquishing of any part of the area covered by the exploration licence by giving not less than two month's notice in writing to the Central Government as required by sub-rule (3) of the Rule 11 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959.

(h) The Commission shall immediately on demand submit to Central Government confidentially a full report of the Geological data of all the minerals found during the exploration of oil and natural gas and shall submit without fail every six months the results of all operations, boring and exploration to the Central Government.

(i) The Commission shall take preventive measures against the hazards of fire under sea bed and/or on the surface and shall keep such equipment, supplies and means to extinguish the fire at all times and shall pay such compensation to third party and/or Government as may be determined in case of damage due to the fire.

(j) This exploration licence shall be subject to the provisions of the Oil Fields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948) and the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959.

(k) The Commission shall execute a deed of the Petroleum Exploration Licence in the form applicable to offshore areas as approved by the Central Government.

(l) The Commission should render, Bathymetric, bottom samples, Current and magnetic data collected during the drilling/exploration operations/survey to Ministry of Defence, Naval Headquarters in the usual manner.

(m) The Commission ensures security of oceanographic data.

(n) The entire data is processed in India.

(o) A complete set of the oceanographic data collected by the Commission in this area is made available free of cost to Ministry of Defence/Chief Hydrographer.

(p) Foreign vessels if deployed for survey, are to undergo naval security inspection by a team of Indian Navy specialists officers prior to the commencement of survey. A minimum one month notice about the arrival of such vessel in India is to be given to facilitate deputation of the Inspection team.

By order and in the name of the President of India.

SCHEDULE 'A'

Geographical coordinates of Bombay offshore Extension-II area measuring 246 Sq. Kms.

Points	Latitude			Longitude		
G_3	17°	50′	00″	72°	26′	00″
G_4	17°	50′	00″	72°	45′	00″
G_7	17°	46′	00″	72°	26′	24·6″
G_8	17°	46′	00″	72°	44′	50″

SCHEDULE 'B'

Monthly return of crude oil, casing-head condensate and natural gas produced and value thereof

Petroleum Exploration Licence for

Area :

Month and Year :

A—Crude Oil

Total No. of metric tonnes obtained	No. of metric tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of metric tonnes used for purpose of petroleum exploration operation approved by the Central Government	No. of metric tonnes obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

B—Casing-head Condensate

Total No. of metric tonnes obtained	No. of metric tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of metric tonnes used for purpose of petroleum exploration approved by Central Govt.	No. of metric tonnes obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

C—Natural Gas

Total No. of cubic metres obtained	No. of cubic metres unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of cubic metres used for purposes of petroleum exploration approved by the Central Govt.	No. of cubic metres obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

I, Shri.....do hereby solemnly and sincerely declare and affirm that the information in this return is true and correct in every particular and make this solemn declaration conscientiously believing the same to be true.

(Signature)

By order and in the name of the President of India.

GURDIAL SINGH, Desk Officer

MINISTRY OF INDUSTRY

(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)

New Delhi, the 30th August 1989

No. 27/5/89CL.II.—In exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (1) of Section 209-A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) the Central Government hereby authorise Shri D K. Biswas, Joint Director, Inspection in the Department of Company Affairs for the purpose of the said section 209-A

M. L. SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS
(TELECOM COMMISSION)

New Delhi-110001, the 23rd August 1989

Subject :—Setting up of a High Level Committee for Telecom Development in Western Border Areas.

No. 3-8/89-TC.—A High Level Committee has been set up for telecom development in Western Border Areas to examine various key issues related to network, product, service, organisation, investment, implementation, etc. with a focus on accessibility, reliability, standards, indigenous products and rapid development.

2. The Committee shall consist of the following :—

CHAIRMAN

1. Mr. J. A. Kalyanakrishnan,
Secretary,
Ministry of Home Affairs,
New Delhi.

MEMBER (SECRETARY)

2. Mr. S. K. Pande,
General Manager (Network),
Department of Telecommunications,
New Delhi.

MEMBERS

3. Mr. R. P. Ojha,
Chief Secretary,
Government of Punjab,
Chandigarh.

4. Mr. H. R. Patankar,
Chief Secretary,
Government of Gujarat,
Gandhinagar.

5. Mr. Moosa Raza,
Chief Secretary,
Government of Jammu & Kashmir,
Srinagar.

6. Mr. V. B. L. Mathur,
Chief Secretary,
Government of Rajasthan,
Jaipur.

7. Mr. H. P. Bhatnagar,
Director General,
Border Security Force,
Block No 10, CGO Complex,
Lodi Road,
New Delhi.

8. Mr. A. K. Chowdhary,
Chief General Manager, Telecom,
Chandigarh,
Punjab.

9. Mr. M. C. Trehan,
Chief General Manager,
Jammu & Kashmir Telecom. Circle,
Srinagar,

10. Mr. J. P. Garg,
Chief General Manager, Telecom.,
Jaipur,
Rajasthan.

11. Mr. H. P. Wagle,
Chief General Manager, Telecom.,
Gujarat,
Gandhinagar,

12. Maj. Gen. G. S. Bains,
Assistant Director General, Telecom.,
Signal Directorate,
Army Headquarters,
New Delhi.

13. Mr. S. C. Kakkar,
General Manager (Defence Communications),
Western Command,
Chandigarh.

14. Dr. D. P. S. Seth,
General Manager (LTP),
Department of Telecommunications,
New Delhi.

3. The Terms of Reference of this Commitee will be as follows :—

(i) Identification of a Strategic Plan for Border Area Telecom. Network with the BSF and CRPF, keeping in view the long term technical and service integration perspectives;

(ii) Reinforcing and modernising the Civilian and the BSF Network in the Western Border Districts;

(iii) Identification of products, services, maintenance, etc. for exchanges, transmission and Public Call Offices; and

(iv) Implementation Plan for 8th Plan period.

4. The Committee will submit its recommendations within 90 days.

BATA K. DEY, Jt. Secy.

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi-110003, the 12th September 1989

RESOLUTION

No. 19/4/81-I.T.—In partial modification of this Ministry's resolution No. D.W. III-26(4)/58 dated the 19th December 1958 as amended vide Resolution No. 22/7/66-D.W. I dated the 10th December 1968, Resolution No. 21/9/71-DW (N) dated the 12th January, 1972, Resolution No. 21/9/71-DW(N) dated the 30th April, 1973, Resolution No. 21/9/71-DW(N) dated the 2nd January 1974 and Resolution No. 21/9/71-DW(N) IT-Vol. II dated 19th January 1978 and Corrigendum No. 21/9/71-DW(N)/IT dated 27th March 1978 and Resolution No. 19/4/81-I.T. dated the 17th June, 1987, it has been decided to reconstitute the 'Rajasthan Canal Board' since renamed as 'Indira Gandhi Nahar Board' vide Resolution No. 19/4/81-IT dated the 7th January, 1985, which will henceforth consist of :—

Indira Gandhi Nahar Board

1. Chairman, Indira Gandhi Nahar Board.
2. Financial Adviser, Union Ministry of Water Resources (or an officer deputed by him to attend any particular meeting).
3. Joint Secretary, Department of Agriculture, Union Ministry of Agriculture and Cooperation (or an officer deputed by him to attend any particular meeting).
4. Commissioner (Indus), Union Ministry of Water Resources, (or an officer deputed by him to attend any particular meeting).
5. Chief Engineer (Monitoring-N), Central Water Commission (or an officer deputed by him to attend any particular meeting).
6. Chief Engineer, CAD, Union Ministry of Water Resources (or an officer deputed by him to attend any particular meeting).
7. Secretary to the Government of Rajasthan, Finance Department (or an officer deputed by him to attend any particular meeting).
8. Secretary to the Government of Rajasthan, CAD Deptt. (or an officer deputed by him to attend any particular meeting).
9. Area Development Commissioner, Indira Gandhi Nahar Project.
10. Chief Engineer, Indira Gandhi Nahar Project.
11. Chief Engineer, Command Area Development, Indira Gandhi Nahar Project.
12. Chief Engineer (II)/Additional Chief Engineer, Indira Gandhi Nahar Project.
13. Colonisation Commissioner, Government of Rajasthan.

ORDER

ORDERED that this Resolution be communicated for information to the State Government concerned and the Ministries of Finance, Home, Agriculture and Planning Commission.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India and that the State Government concerned be requested to publish it in the State Gazette for general information.

A. SEKHAR, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI. 1989